[ 2021 ] 5 एस. सी. आर 984

दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

( 2021 की सिविल अपील संख्या 5627)

सितंबर 09,2021

[ एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भाट, जेजे।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 34 - मध्यस्थता निर्णय के साथ हस्तक्षेप-तथ्यों पर, मध्यस्थता खंड

मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित विवाद के कारण लागू किया गया

पक्षकारों के बीच-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा जारी समाप्ति सूचना वैध थी और 'समायोजित इक्विटी' के आधार पर रु। 2782.33 करोड़, ब्याज के साथ, अपीलार्थी के पक्ष में-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया

याचिका यू/एस। 34 पुरस्कार को रद्द करने के लिए-हालांकि, डिवीजन बेंच ने आंशिक रूप से पुरस्कार को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः आवेदन यू/एस तय करते समय। 34 , न्यायालयों को एस के अनुसार और सीमा के भीतर सख्ती से कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया है। 34 , तथ्य के साथ-साथ कानून के मामलों की सराहना या पुनः प्रशंसा से बचना -

अदालतें मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं बैठती हैं-घरेलू पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए अनुमेय आधार। 34 ( 2 - ए) पेटेंट अवैधता के आधार पर जब मध्यस्थ एक दृष्टिकोण लेता है जो

संभव नहीं है, या अनुबंध में किसी ऐसे खंड की व्याख्या करता है जो कोई भी निष्पक्ष या तर्कसंगत व्यक्ति अनुबंध से बाहर भटककर और उन्हें आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है-मध्यस्थ के निष्कर्ष जो किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करके निकाले गए हैं, विकृत हैं और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग रखे जा सकते हैं-साथ ही, उन दस्तावेजों पर विचार करना जो दूसरे पक्ष को प्रदान नहीं किए गए हैं, 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के भीतर आने वाली विकृति का एक पहलू है-यदि कोई विवाद जो निपटान करने में सक्षम नहीं है

मध्यस्थता द्वारा पुरस्कार का विषय है या यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, तो पुरस्कार निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। एक तरफ-डिवीजन बेंच का निष्कर्ष कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और आश्चर्यचकित करता है

न्यायालय की अंतरात्मा गलत है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार को बहाल कर दिया जाता है।

984 दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2021 की सिविल अपील को अनुमति देना और 2021 की सिविल अपील को खारिज करना पकड़नाः 1.1 यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून और नियमों का संचयी अध्ययन, वह विधायी इरादा जिसके साथ मध्यस्थता

और सुलह अधिनियम, 1996 बनाया गया है, 1996 अधिनियम की धारा 5 और धारा 34 यह स्पष्ट करेगी कि मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यायिक हस्तक्षेप धारा 34 के आधारों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय लेते समय, अदालतों को धारा 34 के अनुसार और सीमा के भीतर सख्ती से कार्य करने के लिए अनिवार्य किया जाता है, तथ्य के साथ-साथ कानून के मामलों की सराहना या पुनर्मूल्यांकन से बचना। [ पैरा 22] [1004-ई-एफ]

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड। वी.

उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 455; भावेन

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रेमजिभाई के माध्यम से निर्माण

के. शाह बनाम कार्यकारी अभियंता सरदार सरोवर नर्मदा

निगम लिमिटेड और एक और 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 8;

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम

सरन (2012) 5 एस. सी. सी. 303: [ 2012 ] 4 एससीआर 122 पर भरोसा किया गया

पर।

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522-संदर्भित।

1.2 मध्यस्थता पुरस्कारों को रद्द करने के लिए अदालतों के पास उपलब्ध सीमित आधार कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों के लिए अच्छी तरह से ज्ञात हैं। लेकिन, अदालतों के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों में हस्तक्षेप करने के लिए सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तथ्यों को अलग करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मामलों के पहलू कि पुरस्कार की आवश्यकता है

हस्तक्षेप और उसके बाद, पुरस्कार को रद्द करने के लिए उपलब्ध अन्य आधारों के अलावा, विकृति या पेटेंट अवैधता द्वारा दूषित किया जाना। इस दृष्टिकोण से 1996 के अधिनियम के उद्देश्य का क्षरण होगा और इस उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास, जो न्यूनतम न्यायिक है।

मध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप। इसके अलावा, इस न्यायालय के कई न्यायिक निर्णय एक मृत पत्र बन जाएंगे यदि [2021] 5 एस. सी. आर.

मध्यस्थता पुरस्कारों को कथित रूपांकनों की सराहना किए बिना उन्हें विकृत या स्पष्ट रूप से अवैध के रूप में वर्गीकृत करके अलग रखा जाता है।

अभिव्यक्तियाँ। [ पैरा 24] [1007-एच; 1008-ए-डी]

1.3 पेटेंट की अवैधता अवैध होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाती है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई कानून की प्रत्येक त्रुटि 'पेटेंट' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी।

अवैधता '। इसी तरह, कानून का गलत अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है

पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से, क्योंकि अदालतें मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं बैठती हैं। धारा के तहत घरेलू पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए अनुमेय आधार 34 ( 2 - ए) पेटेंट अवैधता के आधार पर है जब मध्यस्थ एक दृष्टिकोण लेता है जो एक संभव भी नहीं है, या एक की व्याख्या करता है

अनुबंध में खंड इस तरह से जो कोई निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं करेगा, या यदि मध्यस्थ अनुबंध के बाहर भटककर और उन्हें आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। अपने निष्कर्षों के लिए कोई कारण नहीं बताते हुए एक मध्यस्थता पुरस्कार इस कारण से खुद को चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील बना देगा। मध्यस्थ के निष्कर्ष जो किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करके प्राप्त किए गए हैं, विकृत हैं और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उन दस्तावेजों पर विचार करना जो दूसरे पक्ष को प्रदान नहीं किए जाते हैं, 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के भीतर आने वाली विकृति का एक पहलू है। [ पैरा 25] [1008-डी-जी]

1.4 धारा 34 (2) (बी) उन अन्य आधारों को संदर्भित करती है जिन पर एक अदालत एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द कर सकती है। यदि कोई विवाद जो नहीं है

मध्यस्थता द्वारा समाधान करने में सक्षम होना पुरस्कार का विषय है या यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, तो पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित स्पष्टीकरण (1) में 'सार्वजनिक नीति' अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया है। मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा के उद्देश्यों के लिए भारत और इसके अर्थ। यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ तभी टकराव में होगा जब वह धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित हो या धारा 75 या धारा 81 दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. का उल्लंघन हो।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

1996 के अधिनियम का, यदि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है या यदि यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है। [ पैरा 26] [1008-एच; 1009-ए-बी]

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी

सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

( एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644: [ 1993 ] 3 पूरक। एससीआर 22-संदर्भित

को।

2.1 चूंकि दोषों को ठीक करने के लिए दिए गए समय के बारे में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में कोई अस्पष्टता नहीं है और

रियायत समझौते की समाप्ति की प्रभावी तिथि, डिवीजन बेंच के निष्कर्ष कि समाप्ति की तारीख के संबंध में पुरस्कार में एक अस्पष्टता है, जिसका पुरस्कार के अंतिम परिणाम पर असर पड़ता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि डी. एम. आर. सी. 09.07.2012 पर जारी दोषों की गैर-विस्तृत सूची निर्धारित करने वाले प्रारंभिक नोटिस से 90 दिनों की समाप्ति से पहले दोषों को ठीक करने में विफल रहा। उक्त निष्कर्ष अनुच्छेद 29.5 की व्याख्या का परिणाम है। 1 न्यायाधिकरण द्वारा रियायत समझौते का। प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया गया था

इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि समाप्ति सूचना अपने जारी होने की तारीख से 90 दिनों के बाद ही प्रभावी होगी, अर्थात 08.10.2012, डी. एम. आर. सी. दोषों को दूर करने के लिए भी इस अवधि का लाभ उठा सकता है और यदि दोष ठीक हो जाते हैं या इस अतिरिक्त 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो समाप्ति सूचना निष्क्रिय हो जाती है और इसे प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। रियायत समझौते के प्रावधान का निर्माण मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि दोषों को इलाज के नोटिस की तारीख से 90 दिनों के भीतर ठीक किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर डी. ए. एम. ई. पी. एल. रियायत को समाप्त करने का हकदार है

समझौता, अनुच्छेद 29.5 की संभावित व्याख्या है। 1 . मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निष्कर्ष इस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एक अलग दृष्टिकोण मानते हुए भी उक्त लेख को पढ़ने पर लिया जा सकता है। [ पैरा 31] [1012-एफ-एच; 1013-ए-डी]

2.2 मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पक्षों द्वारा बुलाया गया था

तय करें कि क्या रियायत समझौते [2021] 5 एस. सी. आर. का उल्लंघन हुआ था।

ए. एम. ई. एल. की सुरक्षा का निर्धारण करना। यह भी संदेह से परे है कि आयुक्त ने एएमईएल को फिर से शुरू करने की अनुमति तब तक नहीं दी होगी जब तक कि यह राय न हो कि इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। वाणिज्यिक संचालन से जनता को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि, प्रमाण पत्र अपने आप में डी. एम. आर. सी. के बचाव में यह दिखाने के लिए नहीं आ सकता है कि डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा बताए गए दोषों को 09.07.2012 से 90 दिनों की समाप्ति के भीतर ठीक कर दिया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि दोषों को ठीक नहीं किया गया था, एक ऐसा तथ्य है जिसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 33] [1014 सी-एफ]

2.3 सी. एम. आर. एस. प्रमाणपत्र पर डी. एम. आर. सी. द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष इसके समर्थन में एक मजबूत साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था।

मामला कि दोषों को ठीक कर दिया गया था। डी. एम. आर. सी. ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क नहीं दिया कि सी. एम. आर. एस. प्रमाणपत्र बाध्यकारी है और दोषों को ठीक करने के लिए उठाए जा रहे दोषों/प्रभावी कदमों के बारे में निर्णायक है। न्यायाधिकरण के अनुसार, गति प्रतिबंधों और लाइन की करीबी निगरानी से संबंधित आयुक्त द्वारा लगाई गई शर्तें डी. ए. एम. ई. पी. एल. के इस तर्क का समर्थन करती हैं कि दोष पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या दिनांकित 09.07.2012 नोटिस के 90 दिनों के भीतर दोषों को ठीक कर दिया गया था और दिनांकित 18.01.2013 प्रमाण पत्र उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है। उच्च न्यायालय का यह विचार कि सीएमआरएस प्रमाणपत्र के मुद्दे पर अलग से विचार किया जा रहा है, समाप्ति नोटिस की वैधता के न्यायाधिकरण के निर्धारण पर असर डालता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य, पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया के अनुसार नामित, इंजीनियर हैं और उनका पुरस्कार इस प्रकार नहीं है -

कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों द्वारा तैयार किए गए तरीके से जांच की जाती है। किसी भी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत है। इसलिए, उच्च न्यायालय की राय है कि दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

समाप्ति सूचना की वैधता पर न्यायाधिकरण को दूषित कर दिया गया है विकृति के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 34] [1014 एफ-एच; 1015-ए-बी]

2.4 डिवीजन बेंच ने समाप्ति नोटिस के लिए विभिन्न कारकों का उल्लेख किया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यह निर्णय अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है। विवाद में चर्चा

निर्णय उन तथ्यों की सराहना या पुनर्मूल्यांकन के बराबर है जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अनुमत नहीं हैं। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि सीएमआरएस प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से चार साल से अधिक की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिकूल घटना के एएमईएल के संचालित होने के तथ्य को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया था। जिस तरह से मध्यस्थ गुणवत्ता के साथ-साथ साक्ष्य की मात्रा का एकमात्र न्यायाधीश होता है, न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य पर न्यायाधीश होने का कार्य धारा 34 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय पर नहीं पड़ता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों के आधार पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचार के लिए मुद्दों को तैयार किया और उक्त मुद्दों का जवाब दिया। बाद की घटनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। [ पैरा 35] [1015-बी-ई]

2.5 डिवीजन बेंच का यह निष्कर्ष कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और आश्चर्यचकित करता है

न्यायालय की अंतरात्मा को गलत माना जाता है। [ पैरा 36] [1015 ई-एफ]

2.6 न्यायाधिकरण ने समाप्ति भुगतान के दो घटकों पर ध्यान केंद्रित किया, जो 'ऋण देय' हैं, और 'समायोजित' के 130% हैं।

समता '। न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि रु. डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा दिए गए 611.95 करोड़ रुपये उक्त परिभाषा के एक सादे पाठ पर 'इक्विटी' की परिभाषा के तहत शामिल करने के लिए योग्य होंगे। अनुबंध का निर्माण न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, न्यायालय इस तरह के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। [ पैरा 39] [1018-एफ-जी; 1019-ए-बी]

2.7 न्यायाधिकरण की राय है कि रु। 611.95 करोड़ डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा अग्रिम राशि थी जिसे डी. एम. आर. सी. द्वारा विवादित नहीं किया गया था। डी. एम. आर. सी. द्वारा प्रस्तुत निवेदन, कि यह केवल इक्विटी शेयर पूंजी थी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में समझा जाता है, जो अनुच्छेद 29.5 के तहत डी. एम. आर. सी. द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 2 , [2021] 5 एस. सी. आर. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रिबुनाल। न्यायाधिकरण का विचार है कि संघ के किसी सदस्य या शेयरधारकों द्वारा किसी भी रूप में 'रियायतकर्ता की पूंजी लागत' को पूरा करने के लिए योगदान की गई राशि, जिसमें ऐसी निधियों को अधीनस्थ ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है,

रियायत समझौते में इसकी परिभाषा के संदर्भ में 'अधीनस्थ ऋण' के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह एक उचित और संभावित दृष्टिकोण है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बोर्ड के दिनांकित 16.03.2011 के प्रस्ताव पर भरोसा किया और कहा कि न्यायाधिकरण को शेयर आवेदन के पैसे को 'इक्विटी' में परिवर्तित करने के बाद उक्त राशि को 'इक्विटी' के रूप में नहीं मानना चाहिए था।

अधीनस्थ ऋण। रियायत समझौते के प्रासंगिक खंडों पर विस्तृत विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य की पूरी तरह से अनदेखी करके 'समायोजित समानता' के अपने सारणीकरण में एक गंभीर त्रुटि की है।

[ पैरा 41] [1019-जी-एच; 1020-ए-सी]

न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित और खंड पीठ द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के अनुसार, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि रुपये को शामिल करने पर न्यायाधिकरण की राय। 'इक्विटी' के तहत 611.95 करोड़ एक विकृत दृष्टिकोण है। यह. यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार नहीं किया, विशेष रूप से डी. ए. एम. ई. पी. एल. के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर। इसके अलावा, न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में कोई गलती नहीं है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इक्विटी शब्द की समझ रियायत समझौते में शब्द की स्पष्ट परिभाषा के आलोक में 'समायोजित इक्विटी' निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) की व्याख्या पर डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया समर्थन, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के मामले में अपनाया गया था, अब अच्छा कानून नहीं है। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा गणना के संबंध में निर्णय दिया जाता है

खंड 29.5 के तहत समाप्ति भुगतान। 2 बरकरार रखा जाता है।

[ पैरा 42] [1020-सी-एच] दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

( 2015 ) 3 एससीसी 49: [ 2014 ] 13 एस. सी. आर. 895-अच्छा नहीं रहा

कानून।

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी

सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

( एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एससीआर 522 -

संदर्भित किया गया।

2.9 2019 के एसएलपी (सी) संख्या 8311 में चुनौती के आधार के संबंध में, कई बैठकों में डीएएमईपीएल की भागीदारी के रूप में

उल्लिखित दोषों को सुधारने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद रियायत समझौते को समाप्त करने से। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त निष्कर्ष को इस आधार पर मंजूरी दी कि न्यायाधिकरण के निर्णय को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों को दी गई सीमित जांच के भीतर त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा छूट पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। ए. एम. ई. एल. के संचालन के लिए रियायत समझौते के तहत अपने दायित्वों के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डी. ए. एम. ई. पी. एल. को निर्देश देने की प्रार्थना को न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उक्त निष्कर्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, इस न्यायालय के लिए रियायत समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के बिंदु पर निर्णय लेने का कोई कारण नहीं है। [ पैरा 43,44] [1021-बी-ई]

2.10 न्यायाधिकरण ने समाप्ति भुगतान पर रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार ब्याज दिया। डी. एम. आर. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि इस संबंध में पुरस्कार

ब्याज को इस आधार पर अलग रखा जाना था कि इसके परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। रियायत समझौते के अनुच्छेद 29.8 और अनुच्छेद 36.2.6.1 पर गहन विचार के बाद, उच्च न्यायालय ने

न्यायालय ने निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से सही ही इनकार कर दिया है ब्याज से संबंधित न्यायाधिकरण और इसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। [ पैरा 45,46] [1021-ई-जी] [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बनाम। पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और

एक और (1994) 6 एससीसी 485: [ 1994 ] 3 पूरक। एससीआर 616

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

( 2020 ) 2 एससीसी 455

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[ 2012 ] 4 एससीआर 122

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[ 2019 ] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[ 1993 ] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[ 1994 ] 3 पूरक। एससीआर 616

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[ 2014 ] 13 एससीआर 895

अच्छा कानून नहीं है

पै

रा 42

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5627

2021 से।

उच्च न्यायालय के 15.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) No.58 में नई दिल्ली में।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.5628।

तुषार मेहता, एसजी, हरीश एन. साल्वे, जे. जे. भट्ट, पी. एस. नरसिम्हा,

पराग त्रिपाठी, अजीत सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अंजलि चंदुरकर, महेश अग्रवाल, सुश्री मेघा मेहता, निशांत राव, विश्वबरा दास, ई. सी.

अग्रवाल, तरुण जौहरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एल. नागेश्वर राव, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. चाहे वह धारा 37 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद, '1996 अधिनियम'), दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में हस्तक्षेप करना सही था। अपीलार्थी-दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट के पक्ष में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.05.2017 का पुरस्कार। लिमिटेड (इसके बाद, 'डीएएमईपीएल' या 'रियायतकर्ता'), वह प्रश्न है जो इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होता है।

2. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद, 'डीएमआरसी'), ए

भारत सरकार और राष्ट्रीय दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन परियोजना के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा है। ( इसके बाद, 'एएमईएल')। परियोजना की अनुमानित लंबाई 22.7 किलोमीटर थी। इस परियोजना को विकसित करने का निर्णय लिया गया था

सभी के वित्तपोषण, डिजाइन, खरीद, स्थापना के लिए रियायत प्राप्तकर्ता

सिस्टम (जिसमें रोलिंग स्टॉक, ओवरहेड विद्युतीकरण, ट्रैक, सिग्नलिंग और दूरसंचार, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, स्वचालित किराया संग्रह, सामान चेक-इन और हैंडलिंग, डिपो और अन्य सुविधाएं शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)। डी. एम. आर. सी. को बुनियादी ढांचे का डिजाइन और निर्माण करना पड़ा।

परियोजना के लिए नागरिक संरचना, जो एक सार्वजनिक निजी की प्रकृति में थी

साझेदारी। 3. डी. एम. आर. सी. ने रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (जिसका नाम बदलकर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया) और मेसर्स कंस्ट्रक्शंस वाई ऑक्सीलियर डी फेरोकैरिल्स, एस. ए. के एक संघ की बोली को स्वीकार कर लिया।

21.01.2008 पर स्वीकृति पत्र। इसके बाद, डी. एम. आर. सी. और डी. ए. एम. ई. पी. एल. के बीच ए. एम. ई. एल. के डिजाइन, स्थापना, चालू करने, संचालन और रखरखाव के लिए एक रियायत समझौता किया गया। पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि सभी सिविल कार्यों के साथ-साथ सलाहकारों की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण और सरकार और अन्य प्राधिकरणों से अन्य मंजूरी डी. एम. आर. सी. द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और रोलिंग स्टॉक, बिजली आपूर्ति, ओवरहेड उपकरण, सिग्नलिंग, ट्रैक सिस्टम, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर, वेंटिलेशन, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा प्रदान किया जाना था। क्योंकि काम नहीं हो सकता था

समय पर पूरा किया गया, विस्तार दिया गया और अंत में, मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की गई ( इसके बाद, 'सीएमआरएस' या 'कमिश्नर') 10.01.2011 पर। वाणिज्यिक संचालन की तिथि 23.02.2011 पर प्राप्त की गई थी।

4. 22.03.2012 पर, डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने डी. एम. आर. सी. से एक संयुक्त कार्यक्रम के लिए अनुरोध किया।

सिविल ठेकेदारों की दोष देयता अवधि की समाप्ति से पहले पुल और उसके बीयरिंग का निरीक्षण। एक अन्य पत्र डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा 23.05.2012 पर लिखा गया था, जिसमें वायडक्ट बीयरिंग की स्थापना में डिजाइन और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों की शिकायत की गई थी। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि विकृतियों/दरारों के परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर गर्डरों के डूबने के संकेत थे। डी. एम. आर. सी. ने डी. ए. एम. ई. पी. एल. के उक्त पत्र का जवाब 08.06.2012 पर दिया जिसके द्वारा डी. ए. एम. ई. पी. एल. को सूचित किया गया कि डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा बताए गए स्थानों पर निरीक्षण किए गए थे और कोई बीयरिंग [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं थी।

क्षतिग्रस्त पाए गए। हालांकि, डी. एम. आर. सी. ने स्वीकार किया कि बीयरिंग के ऊपर/नीचे भरी गई ग्राउटिंग सामग्री क्षतिग्रस्त/ढीली हो गई थी, जिसके लिए प्राथमिकता के आधार पर उनकी मरम्मत के लिए कार्रवाई की जाएगी। उक्त दोषों के कारण, डी. एम. आर. सी. ने डी. ए. एम. ई. पी. एल. को सुरक्षा के हित में आवश्यक गति प्रतिबंध लगाने की सलाह दी। 5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 02.07.2012 पर सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाई। दोषों के संबंध में सभी पक्षों के विचार प्राप्त किए गए और एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया। 4 और 5 जुलाई, 2012 को निरीक्षण के बाद संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

इसके बाद, डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने 08.07.2012 पर लाइन का संचालन बंद कर दिया।

6. डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा 09.07.2012 पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें डी. एम. आर. सी. को 90 दिनों की अवधि के भीतर डी. एम. आर. सी. के कार्यों में खामियों को ठीक करने के लिए कहा गया था।

नोटिस की तारीख, जिसमें विफल रहने पर इसे रियायत के तहत रियायत पाने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

समझौता। 09.07.2012 दिनांकित उक्त सूचना में, 'एक गैर-विस्तृत सूची'

डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा दोषों का निर्धारण किया गया था। इसके बाद, पार्टियों के बीच कई बैठकें आयोजित की गईं जिनमें वायडक्ट अनुभागों के लिए मूल डिजाइन सलाहकार सिस्ट्रा ने भाग लिया। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि डी. एम. आर. सी. ने परिवहन के लिए कुछ अन्य एजेंसियों को भी नियुक्त किया था।

मरम्मत का काम करें।

7. डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने रियायत समझौते को समाप्त करने के लिए आई. डी. 2 दिनांकित एक नोटिस जारी किया, क्योंकि इसके अनुसार आई. डी. 1 दिनांकित नोटिस में बताए गए दोषों को 90 दिनों की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रियायत समझौते के तहत चूक की घटना हुई थी। डी. एम. आर. सी. ने रियायत के अनुच्छेद 36.2 के तहत मध्यस्थता का आह्वान किया

23.10.2012 पर समझौता। 22.01.2013 पर, आयुक्त द्वारा 18.01.2013 पर फिर से शुरू करने की मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद लाइन को कम गति के साथ फिर से शुरू किया गया था। डी. ए. एम. ई. पी. एल. के अनुसार, यह जनहित में और के निर्देश पर केवल एक एजेंट के रूप में लाइन का संचालन करने के लिए सहमत हुआ।

डी. एम. आर. सी., हालांकि डी. एम. ई. पी. एल. के रुख को डी. एम. आर. सी. ने स्वीकार नहीं किया। डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने 30.06.2013 पर अपना परिचालन बंद कर दिया और अगले दिन लाइन डी. एम. आर. सी. को सौंप दी।

8. इस स्तर पर, रियायत समझौते के अनुच्छेद 36 का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो विवाद समाधान को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 36.2। 2 , के साथ पढ़ें

अनुच्छेद 36.2। 3 , यह प्रावधान करता है कि सभी विवाद, जो भी उनके बीच उत्पन्न होते हैं दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. के निर्माण, मापन से संबंधित या उससे संबंधित पक्षकार।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

रियायत समझौते के संचालन या प्रभाव या उसके उल्लंघन का निपटारा एकल मध्यस्थ के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, जहां दावों का कुल मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। 1,500,000 / - . इस सीमा के बाद, विवाद को तीन मध्यस्थों को भेजा जाएगा जिनका चयन किया जाएगा। इंजीनियरों के एक पैनल से अपेक्षित योग्यता और उस क्षेत्र में प्रासंगिक पेशेवर अनुभव के साथ जो रियायत समझौते से संबंधित है। पैनल सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियरों का होगा।

विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के। 9. रियायत समझौते के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारण के लिए जो मुख्य मुद्दा उठा वह है -

समाप्ति सूचना दिनांक 08.10.2012। डी. एम. आर. सी. ने दावा किया कि डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा जारी समाप्ति नोटिस अवैध है, जैसा कि डी. एम. आर. सी. ने लिया था। रियायत समझौते के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करते हुए विभिन्न कदम उठाए गए। मध्यस्थ न्यायाधिकरण से डीएएमईपीएल को रियायत समझौते के तहत एएमईएल के संचालन को संभालने और वैकल्पिक रूप से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 3,173 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। डी. एम. आर. सी. द्वारा और अधिक मौद्रिक राहत की मांग की गई। डी. एम. आर. सी. द्वारा मांगे गए मुआवजे का दावा इस पर निर्भर था

मुख्य मुद्दे का निर्धारण, अर्थात, दिनांकित 08.10.2012 समाप्ति सूचना की वैधता। डी. एम. आर. सी. ने भी वास्तविक उद्देश्य पर एक मुद्दा उठाया

डी. ए. एम. ई. पी. एल. रियायत समझौते को समाप्त करेगा। डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने समाप्ति को रियायत समझौते के अनुरूप होने के रूप में उचित ठहराया और परिणामस्वरूप, एक जवाबी दावा दायर किया जिसमें ब्याज के साथ समाप्ति भुगतान के रूप में 3,470 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई और जवाबी दावे में विस्तृत राशि, इस आधार पर कि डी. एम. आर. सी. ने दिनांकित इलाज सूचना के संदर्भ में नागरिक संरचना में दोषों को ठीक नहीं किया। चूंकि डी. एम. आर. सी. ने अनुच्छेद 29.5 के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। 1 ( i), डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने 08.10.2012 दिनांकित समाप्ति सूचना को उचित ठहराया और

अनुच्छेद के तहत डी. एम. आर. सी. से समाप्ति भुगतान का परिणामी दावा 29.5. 2 .

10. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्राथमिक मुद्दों को तैयार किया

दिनांकित 08.10.2012 समाप्ति सूचना के संबंध में विचार के लिए: -

" i) क्या हवाई अड्डे के नागरिक ढांचे में कोई खराबी थी?

मेट्रो लाइन?

( (ii) यदि कोई दोष थे, तो क्या ऐसे दोषों में कोई सामग्री थी?

दायित्व के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव

सीए के तहत डीएएमईपीएल?

21 ] 5 एस सी आर।

( iii) यदि नागरिक संरचना में दोष थे, जिनका डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा सी. ए. के तहत दायित्वों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो क्या डी. एम. आर. सी. द्वारा ऐसे दोषों को ठीक किया गया है और/या डी. एम. आर. सी. द्वारा दोषों को ठीक करने के लिए डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा नोटिस की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इस प्रकार डी. एम. आर. सी. ने नियमों का उल्लंघन किया है।

29. 5 के अनुसार सीए। 1 ( (i)? ”

11. यह आकलन करने के लिए कि क्या डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा बताए गए दोषों को ठीक किया गया था और/या उन्हें ठीक करने के लिए प्रभावी कदम डी. एम. आर. सी. द्वारा दिनांकित 09.07.2012 नोटिस में निर्धारित समय के भीतर उठाए गए थे, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने नागरिक संरचना में खामियों और उनकी मरम्मत/सुधार के लिए उठाए गए कदमों का गहन विश्लेषण किया। जहां तक दोषों के अस्तित्व का संबंध है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि 367 गर्डरों में 1551 दरारें थीं, यानी 72 प्रतिशत गर्डर इस तरह की दरारों से प्रभावित थे। डी. एम. आर. सी. के कहने पर किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट, जो दरारों का मानचित्रण डेटा देती है, पर न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किया गया था कि ऐसी दरारें बड़ी संख्या में गर्डरों में फैली हुई थीं। न्यायाधिकरण ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दिनांक आई. डी. 1 की बैठक का उल्लेख किया, जिसके दौरान डी. एम. आर. सी. के प्रबंध निदेशक ने अपने विचार व्यक्त किए कि दरारें "कम करने" के दौरान हुईं, न कि संचालन के दौरान। सिस्ट्रा के श्री मुल्स के साक्ष्य पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया था ताकि यह माना जा सके कि वे दरारों के कारण के बारे में निश्चित नहीं थे। ट्रेन के संचालन के लगभग एक वर्ष में पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट गर्डरों के आधार स्लैब में इतनी बड़ी संख्या में दरारों के साथ-साथ दरार की गहराई के अविश्वसनीय माप और डी. एम. आर. सी. द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा मरम्मत के गैर-गंभीर निरीक्षण के कारण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय थी कि इन दोषों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

संरचना की अखंडता। चूंकि 90 दिनों की उपचार अवधि के भीतर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे, इसलिए न्यायाधिकरण ने माना कि डी. एम. आर. सी. रियायत समझौते का उल्लंघन कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रियायत पाने वाले पर सामग्री प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

12. जहां तक गर्डरों में मोड़ का सवाल है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि अलग-अलग मोड़ वाले लगभग 80 गर्डर थे

10 से 20 मिमी के बीच जिसे ठीक नहीं किया गया था और ऐसे गर्डरों में दोषों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। कतरनी कुंजी और गर्डर के बीच 25 मिमी से अधिक और 10 मिमी से 25 मिमी के बीच के अंतराल के बारे में डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा बताए गए दोषों को दूर नहीं किया गया था और केवल 10 मिमी से नीचे के अंतराल को कुछ पीसने, विस्तृत दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. द्वारा संबोधित किया गया था।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार, जिस कार्यप्रणाली को डी. एम. आर. सी. द्वारा अपने साक्ष्य में सामने नहीं लाया गया था। इसलिए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि इन दोषों को न तो ठीक किया गया था और न ही डी. एम. आर. सी. द्वारा 08.10.2012 तक की उपचार अवधि के भीतर प्रभावी कदम उठाए गए थे। डी. एम. आर. सी. की ओर से सामग्री उल्लंघन। एएमईएल के नागरिक ढांचे में अन्य दोषों, कमियों और बाधाओं के संबंध में उपरोक्त निष्कर्षों और निष्कर्षों के आधार पर, जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि 09.07.2012 से 90 दिनों की उपचार अवधि के भीतर दोषों को ठीक नहीं किया गया था और न ही ऐसे दोषों को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे। अतः डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा 08.10.2012 पर जारी समाप्ति सूचना वैध थी।

13. समाप्ति सूचना की वैधता पर निर्णय लेने के बाद, न्यायाधिकरण ने कुछ कानूनी मुद्दों पर विचार किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि

अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन, या वैकल्पिक रूप से, हर्जाने के पुरस्कार और डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा दायर जवाबी दावे के परिणाम के बारे में प्रश्न। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया ऐसा ही एक मुद्दा यह था कि क्या ए. एम. ई. एल. के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी देते हुए 18.01.2013 पर आयुक्त द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से पता चलता है कि दोषों को विधिवत ठीक कर दिया गया था। आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि जबकि आयुक्त ने सेवाओं को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी थी, कुछ शर्तें लगाई गई थीं, जो अनिवार्य रूप से 50 किमी प्रति घंटे तक की गति के प्रतिबंध से संबंधित थीं, जिसका ए. एम. ई. एल. के मुख्य उद्देश्य पर एक सामग्री असर था जिसका उद्देश्य एक उच्च गति वाली संपर्क लाइन के रूप में काम करना था। इसके अलावा, आयुक्त

स्वयं स्वीकार किया कि लाइन के संचालन की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। डी. एम. आर. सी. द्वारा लाइन के बाद के संचालन को दिनांकित 09.07.2012 समाप्ति सूचना की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं पाया गया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे का जवाब डी. ए. एम. ई. पी. एल. के पक्ष में दिया। डी. ए. एम. ई. पी. एल. के जवाबी दावे पर विचार करने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जो प्रमुख मुद्दा आया, वह रियायत समझौते के तहत डी. एम. आर. सी. द्वारा देय समाप्ति भुगतान की राशि के निर्धारण पर था। इस संबंध में, न्यायाधिकरण को समाप्ति भुगतान के प्रत्येक घटक के तहत देय राशि का निर्धारण करना था, जिसमें से एक 'समायोजित इक्विटी' थी। डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने समाप्ति भुगतान के रूप में 3,470 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की मांग की। कुल मिलाकर, डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा निवेश की गई कुल आई. डी. 1 करोड़ की राशि को डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा 'समायोजित' की गणना के उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया था।

समता '। रियायत समझौते के प्रासंगिक खंडों पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने पहले धन के उस हिस्से को निर्धारित करने की मांग की जो [2021] 5 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रियायत समझौते के तहत 'इक्विटी' के रूप में अर्हता प्राप्त करें, जिसका उपयोग तब 'समायोजित इक्विटी' के आंकड़े तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। Rs.685 करोड़ में से जिसे 'इक्विटी' शीर्ष के तहत रखने की मांग की गई थी डीएएमईपीएल, रु। न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और रियायत समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के निर्माण के आधार पर 611.95 करोड़ को 'इक्विटी' निर्धारित किया गया था। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने रुपये में 'समायोजित इक्विटी' पर काम किया। 983.02 करोड़ और कुल रु। डी. ए. एम. ई. पी. एल. को समाप्ति भुगतान के रूप में अतिरिक्त ब्याज के साथ 2782.33 करोड़।

प्रशंसनीय है। 15. डी. एम. आर. सी. ने 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील दायर की, जिसे वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग की धारा 13 के साथ पढ़ा गया।

1996 की धारा 34 के तहत डी. एम. आर. सी. द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (शीर्षक तब से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधित)

एक्ट करें। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और डी. एम. आर. सी. द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। पक्षकारों को उन मुद्दों के निर्णय के लिए मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए छोड़ दिया गया था जो डिवीजन बेंच द्वारा तय नहीं किए गए थे। इन अपीलों में डिवीजन बेंच के दिनांकित 15.01.2019 के फैसले पर विचार किया गया है।

ब्याज अनुदान के मुद्दों के संबंध में, डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा पांच से अधिक वर्षों के लिए परियोजना के संचालन के कारण समाप्ति सूचना की छूट 22.01.2013 के महीनों बाद, डिवीजन बेंच द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. को राहत देने से इनकार कर दिया गया।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

रियायत समझौते का विशिष्ट प्रदर्शन और डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा रियायत समझौते को समाप्त करने के वास्तविक कारण से संबंधित मुद्दे पर विचार न करना।

डिवीजन बेंच द्वारा अलग रखने के लिए दिए गए कारण

पुरस्कार

17. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले में दो अलग-अलग समाप्ति तिथियां दर्ज की गई थीं। के रूप में

अप्रासंगिक। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के तहत सी. एम. आर. एस. द्वारा जारी प्रमाण पत्र को वस्तुतः अस्वीकार करने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में गलती पाई। मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 (इसके बाद, 'दिल्ली मेट्रो अधिनियम') और यह अभिनिर्धारित किया कि इस मुद्दे पर निर्णय के निष्कर्षों के संचयी प्रभाव ने 'अदालत की अंतरात्मा को चौंका दिया'।

18. समायोजित इक्विटी के मुद्दे पर, दृष्टिकोण पर विचार करते हुए

अनुच्छेद 29.5 के तहत देय राशियों की गणना के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया। 2 , उच्च न्यायालय की राय थी कि न्यायाधिकरण का तर्क पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और विकृत था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया तर्क स्पष्ट रूप से अवैध था और ऐसा करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, वह ऐसा था जो कोई उचित व्यक्ति नहीं था। आ गया होगा। उच्च न्यायालय के अनुसार, रुपये का उपचार। न्यायाधिकरण द्वारा 'इक्विटी' के रूप में ₹1 करोड़, इस आधार पर कि ऐसी परियोजना को डीएएमईपीएल के प्रवर्तक (शेयर पूंजी के संदर्भ में) द्वारा वित्त पोषित इक्विटी के रूप में केवल ₹1 लाख के साथ निष्पादित नहीं किया जा सकता था, इस धारणा पर आधारित था कि ऋण-से-इक्विटी अनुपात आमतौर पर 60 हैः 40 या 80: 20 , अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत। इसे न्यायाधिकरण द्वारा की गई एक गंभीर गलती माना गया था। उच्च न्यायालय ने उस निर्णय में भी त्रुटि पाई जिसने डी. ए. एम. ई. पी. एल. के निदेशक मंडल द्वारा 16.03.2011 पर पारित प्रस्ताव की अनदेखी की, जिसके द्वारा रु.

21 ] 5 एस सी आर।

करोड़ रुपये को अधीनस्थ ऋण में परिवर्तित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि रियायत समझौते के तहत 'समायोजित इक्विटी' अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त निधियों को 'इक्विटी' के रूप में माने जाने पर विचार नहीं करता है। रियायत के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में समझौता और 'समायोजित इक्विटी' पर परिणामी निष्कर्ष, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष 1996 के अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और 28 (3) का उल्लंघन थे, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स बनाम. दिल्ली विकास प्राधिकरण 1, संविदात्मक प्रावधानों के रूप में

इसकी व्याख्या इस तरह से की गई थी कि कोई भी निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।

19. उल्लिखित कारणों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने समाप्ति की वैधता पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया

नोटिस और वह रु। 611.95 करोड़ अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए 'इक्विटी' था 29.5. 2 रियायत समझौते का। नतीजतन, डी. ए. एम. ई. पी. एल. को 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार अलग रखा गया। उपरोक्त को देखते हुए

उस स्तर पर पुनर्स्थापन के मुद्दे पर पक्षों को सुनना अनुचित है। और पक्षों को 1996 के अधिनियम के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचार प्राप्त करने के लिए उचित आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा करने के लिए न्यायालय की शक्ति की रूपरेखा

20. 1996 का अधिनियम घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को ध्यान में रखते हुए सुलह और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को परिभाषित करना। ( UNCITRAL) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और UNCITRAL सुलह नियमों पर मॉडल कानून। प्रमुख उद्देश्यों में से एक

1996 का अधिनियम मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने के लिए है। 1996 के अधिनियम के भाग I के संबंध में, धारा 5 न्यायिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि जहां प्रावधान किया गया हो,

उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद। मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन केवल 1996 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। धारा 34 (जैसा कि वे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पहले थे) के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पढ़ा गया है:

मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। ( 1 )मध्यस्थता पुरस्कार के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।

इस तरह के पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन द्वारा

मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी दरकिनार किया जा सकता है जब) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण देता है कि

( (i) कोई दल किसी असमर्थता के अधीन था, या

( (ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या किसी भी मामले में विफल रहा है।

उस पर संकेत, कुछ समय के लिए कानून के तहत

बल; या

( (iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह ऐसा करने में असमर्थ था।

अपना मामला प्रस्तुत करें; या

( (iv) मध्यस्थता पुरस्कार किसी विवाद से संबंधित नहीं है।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर आने या न आने पर विचार किया गया है, या इसमें प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थताः

बशर्ते कि, यदि मामलों पर निर्णय

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए गए मामलों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें उन मामलों पर निर्णय शामिल हैं जो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

मध्यस्थता को अलग रखा जा सकता है; या

( v) मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचना के अनुसार नहीं थी पक्षकारों का समझौता, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के साथ टकराव में न हो जिससे -

पक्ष अवमूल्यन नहीं कर सकते हैं, या, इस तरह के समझौते में विफल रहने पर,

इस भाग के अनुसार नहीं; या

) न्यायालय ने पाया कि

( i) विवाद का विषय-मामला अभी लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या [2021] 5 एस. सी. आर.

( (ii) मध्यस्थता पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

भारत से।

स्पष्टीकरण। की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उपखंड (ii), किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या उल्लंघन में था।

धारा 75 या धारा 81।

99

21. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (इसके बाद, '2015 संशोधन अधिनियम') द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 में संशोधन किया गया था। 2015 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से पता चलता है कि 1996 के अधिनियम में संशोधन कुछ मामलों में अदालतों द्वारा 1996 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को देखते हुए आवश्यक हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई थी और मध्यस्थता मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप में वृद्धि हुई थी, जिसमें 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने की प्रवृत्ति थी। शुरू में, मामला कानून के पास भेजा गया था

भारत आयोग 1996 के अधिनियम की कमियों की विस्तार से समीक्षा करेगा। भारत के विधि आयोग ने 1996 के अधिनियम में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश करते हुए अपनी 176 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, सरकार द्वारा गठित मध्यस्थता पर न्यायमूर्ति सराफ समिति का विचार था कि प्रस्तावित संशोधनों ने अदालत द्वारा पर्याप्त हस्तक्षेप के लिए जगह दी और ये विवादास्पद भी थे। इसके बाद, संदर्भ पर, विधि आयोग ने न्यायधीश के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का व्यापक अध्ययन किया।

सराफ समिति और अन्य हितधारक। विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट 05.08.2014 पर प्रस्तुत की गई थी। उस पर कार्य करना

विधि आयोग द्वारा अपनी 246 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में, 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1996 के अधिनियम के कई प्रावधानों में संशोधन किए गए थे, जिसमें धारा 34 भी शामिल थी। संशोधित धारा 34 निम्नानुसार हैः -

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। ( 1 )

मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।

केवल ऐसे पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन द्वारा

उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार।

( 2 ) आर. पी. ओ. आर. टी. मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. होने पर ही न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण देता है कि

( (i) कोई दल किसी असमर्थता के अधीन था, या

( (ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या किसी भी मामले में विफल रहा है।

उस पर संकेत, कुछ समय के लिए कानून के तहत

बल; या

( iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी या

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा करने में असमर्थ था

अपना मामला प्रस्तुत करें; या

( (iv) मध्यस्थता पुरस्कार किसी विवाद से संबंधित नहीं है।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर आने या न आने पर विचार किया गया है, या इसमें प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थताः

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें उन मामलों पर निर्णय शामिल हैं जो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

मध्यस्थता को अलग रखा जा सकता है; या

( v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना या

मध्यस्थता प्रक्रिया के अनुसार नहीं था

पक्षकारों का समझौता, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के साथ टकराव में न हो जिससे -

पक्ष अवमूल्यन नहीं कर सकते हैं, या, इस तरह के समझौते में विफल रहने पर,

इस भाग के अनुसार नहीं; या

ई कोर्ट ने पाया कि

( (i) विवाद का विषय-मामला उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या

( (ii) मध्यस्थता पुरस्कार सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है।

भारत से।

एनीशन 1. —किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, यदि, [2021] 5 एस. सी. आर.

( i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 का उल्लंघन था या

धारा 81; या

( (ii) यह मौलिक नीति का उल्लंघन है।

भारतीय कानून; या

( (iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

भारतीय कानून के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी विवाद।

( 2 - ए) इसके अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाला एक मध्यस्थ पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं को भी अलग रखा जा सकता है

न्यायालय द्वारा, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार द्वारा दूषित किया गया है

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता:

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल इस पर अलग नहीं रखा जाएगा

कानून के गलत अनुप्रयोग का आधार या पुनः

साक्ष्य की प्रशंसा।

" 9

22. UNCITRAL मॉडल कानून का संचयी अध्ययन और

नियम, वह विधायी आशय जिसके साथ 1996 का अधिनियम बनाया गया है, 1996 के अधिनियम की धारा 5 और धारा 34 यह स्पष्ट करेगी कि न्यायिक

मध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप धारा 34 के आधारों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय लेते समय, अदालतों को धारा 34 के अनुसार और सीमा के भीतर सख्ती से कार्य करने के लिए अनिवार्य किया जाता है, मामलों की सराहना या पुनः मूल्यांकन से बचना।

तथ्य के साथ-साथ कानून भी। ( देखिए: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड। वी. उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड। 2 , अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रेमजीभाई के. शाह बनाम के माध्यम से भावेन निर्माण। कार्यकारी अभियंता सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड और अन्य 3 और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन 1)।

23. के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते समय मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा करने में अदालतों की भूमिका की बेहतर समझ के लिए

2 2 (2020) 2 एस. सी. सी. 455 32021 एससीसी ऑनलाइन एससी 8

4 ( 2012 ) 5 एस. सी. सी. 303 दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

1996 के अधिनियम की धारा 34 में सांगयोंग इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 'जिसमें आर. एफ. नरीमन, जे. ने 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप के लिए सीमित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। निर्णय के प्रासंगिक परिच्छेद

सांगयोंग (सुप्रा) का उल्लेख नीचे किया गया हैः -

" 34. इसलिए जो बात स्पष्ट है वह यह है कि "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति, चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब "भारतीय कानून की मौलिक नीति" का अर्थ होगी।

जैसा कि एसोसिएट के पैरा 18 18 और 27 में समझाया गया है।

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] अर्थात भारतीय कानून की मौलिक नीति

इसे "रेनुसागर" की समझ में लाया जाएगा।

अभिव्यक्ति। इसका मतलब यह होगा कि पश्चिमी

गेको [ओएनजीसी बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: ( 2014 ) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। संक्षेप में, पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: ( 2014 ) 5 एससीसी (सी. आई. वी.)

12 ] , जैसा कि एसोसिएट के पैरा 28 और 29 में समझाया गया है

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], अब इस आधार पर किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं करेगा कि

मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, न्यायालय का

हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसे संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संबंध है, जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित है, ये आधार बने हुए हैं। पुरस्कार की चुनौती, जैसा कि पैरा 30 में निहित है

एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए, (2015) 3

एससीसी 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204]

35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप के लिए आधार

जहां तक यह "भारत के हित" से संबंधित है, तब से

हटा दिया गया, और इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार कि पुरस्कार के साथ टकराव है

न्याय या नैतिकता को अब एक संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए

"नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ"। यह फिर से

एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम] के पैरा 36 से 39 के अनुरूप होगा। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], क्योंकि यह केवल ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार हैं जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं जिन्हें इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है।

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अब पहला अर्थ यह है कि एक घरेलू पुरस्कार भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट] के पैरा 18 और 27 में समझा गया है।

बिल्डर्स वी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], और विशेष रूप से पैरा 28 और 29 को अब समाप्त कर दिया गया है। 37. जहाँ तक भारत में किए गए घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ी गई उप-धारा (2 ए) के तहत अब एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है। यहाँ, पेटेंट की अवैधता सामने आनी चाहिए

पुरस्कार, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करता है जो इसकी जड़ तक जाती है

मामला लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, जो इसके भीतर शामिल नहीं है

" भारतीय कानून की मौलिक नीति ", अर्थात्,

जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है, तो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़े किसी क़ानून का उल्लंघन पिछले दरवाजे से नहीं किया जा सकता है।

38. दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन, जो कि एक अपीलीय अदालत को करने की अनुमति है, पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देना।

39. यह स्पष्ट करने के लिए, एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49:

( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], एल. एच. आई. एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

अर्थात्, भारत के मूल कानून का केवल उल्लंघन, अपने आप में, अब एक आधार को अलग करने के लिए उपलब्ध नहीं है मध्यस्थ पुरस्कार। सहयोगी बिल्डरों का पैरा 42.2 [सहयोगी]

बिल्डर्स वी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 तथापि, एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] बना रहेगा, यदि कोई मध्यस्थ कोई कारण नहीं बताता है।

एक पुरस्कार के लिए और 1996 अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है,

जो निश्चित रूप से चेहरे पर एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा

पुरस्कार से। 40. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 (3) में किया गया परिवर्तन

वास्तव में एसोसिएट में पैरा 42.3 से 45 में जो कहा गया है, उसका अनुसरण करता है। बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49:

( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], अर्थात्, कि किसी अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है,

जब तक मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि

कोई भी निष्पक्ष या समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा; संक्षेप में, कि

मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। साथ ही,

यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटकता है और उसके साथ सौदा करता है

जो मामले उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है।

चुनौती का यह आधार अब नए आधार के भीतर आएगा। धारा 34 (2-ए) के तहत जोड़ा गया।

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो है

विकृत, जैसा कि एसोसिएट के पैरा 31 और 32 में समझा गया है

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49:

( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], जबकि अब एक मैदान नहीं है

"भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए, निश्चित रूप से

के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता की राशि

पुरस्कार। इस प्रकार, किसी भी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या

पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा करता है

के आधार पर विकृत और अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा

पेटेंट अवैधता। इसके अलावा, दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे ले जाया जाएगा

बिना किसी साक्ष्य के निर्णय के रूप में भी अर्हता प्राप्त करें क्योंकि

इस तरह का निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है,

और इसलिए, के रूप में भी विशेषता होगी

विकृत। ”

24. इस न्यायालय ने कई अन्य निर्णयों में 1996 के अधिनियम की धारा की व्याख्या की है ताकि मध्यस्थता पुरस्कारों की वैधता को देखते हुए अदालतों द्वारा दिखाए जाने वाले प्रतिबंध पर जोर दिया जा सके। सीमित आधार उपलब्ध हैं [2021] 5 एस. सी. आर.

मध्यस्थता पुरस्कारों को रद्द करने के लिए अदालतों को कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। हालाँकि, अदालतों के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों में हस्तक्षेप के लिए सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अदालतों द्वारा मामलों के तथ्यात्मक पहलुओं को विच्छेदन और पुनर्मूल्यांकन करने के बाद मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि पुरस्कार की आवश्यकता है। हस्तक्षेप और उसके बाद, के लिए उपलब्ध अन्य आधारों के अलावा, विकृति या पेटेंट अवैधता से दूषित होने के लिए पुरस्कार को डब करना

पुरस्कार को रद्द करना। इस दृष्टिकोण से 1996 के अधिनियम के उद्देश्य का क्षरण होगा और इस उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास, जो मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप है। इसके अलावा, इस न्यायालय के कई न्यायिक निर्णय एक मृत पत्र बन जाएंगे यदि मध्यस्थता पुरस्कारों को विकृत के रूप में वर्गीकृत करके अलग कर दिया जाता है।

या उक्त अभिव्यक्तियों की रूपरेखा की सराहना किए बिना स्पष्ट रूप से अवैध है।

25. पेटेंट की अवैधता अवैध होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाती है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई कानून की प्रत्येक त्रुटि 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। इसी तरह, कानून के गलत अनुप्रयोग को पेटेंट अवैधता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन जो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक नीति से जुड़ा नहीं है

ब्याज 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर है। जो वर्जित है वह यह है कि अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों की फिर से सराहना करें कि

पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता दिखाई देती है, क्योंकि अदालतें मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं बैठती हैं। पेटेंट अवैधता के आधार पर धारा 34 (2-ए) के तहत घरेलू पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए अनुमेय आधार तब होता है जब मध्यस्थ कोई विचार करता है।

इस खाते पर चुनौती। मध्यस्थ के निष्कर्ष जो किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करके प्राप्त किए गए हैं, विकृत हैं और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उन दस्तावेजों पर विचार करना जो दूसरे पक्ष को प्रदान नहीं किए जाते हैं, 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के भीतर आने वाली विकृति का एक पहलू है। 26. धारा 34 (2) (बी) उन अन्य आधारों को संदर्भित करती है जिन पर एक अदालत एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द कर सकती है। यदि कोई विवाद जो सक्षम नहीं है

मध्यस्थता द्वारा निपटान निर्णय का विषय है या यदि दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित स्पष्टीकरण (1) ने मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा के उद्देश्यों के लिए 'भारत की सार्वजनिक नीति' अभिव्यक्ति और इसके अर्थों को स्पष्ट किया। यह स्पष्ट किया गया है कि

एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ केवल तभी टकराव में होगा जब वह धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित हो या 1996 के अधिनियम की धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन हो, यदि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है या यदि यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है। सांगयोंग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माना कि 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की समझ के अनुसार। जनरल इलेक्ट्रिक कं. "रेनुसागर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन,

राष्ट्रीय आर्थिक हित के लिए अधिनियमित कानून और भारत में उच्च न्यायालयों की अवहेलना करना मौलिक कानूनों के विरोधी होगा। भारतीय कानून की नीति। सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से न जुड़े किसी कानून का उल्लंघन भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ असंगत होने के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार को शून्य करने का आधार नहीं हो सकता है और न ही इसे 'पेटेंट अवैधता' की सीमा के भीतर लाया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में, किसी क़ानून का उल्लंघन केवल तभी किया जाता है जब वह सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा हो और पुरस्कार को भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाता है। यदि कोई मध्यस्थता निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है, तो इसे न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव के रूप में अलग रखा जा सकता है। नैतिकता का आधार

इस संदर्भ की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा यौन नैतिकता के तत्वों से जुड़े पुरस्कारों को शामिल करने के लिए की गई है, जैसे कि वेश्यावृत्ति, या ऐसे समझौतों को मान्य करने की मांग करने वाले पुरस्कार जो अवैध नहीं हैं लेकिन जो उस समय प्रचलित रूढ़ियों को देखते हुए लागू नहीं किए जाएंगे। 7 27. 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक अदालत द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए इसमें स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के आलोक में, हम इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ दिनांकित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को रद्द करने में सही थी।

समाप्ति सूचना की वैधता और सीएमआरएस मंजूरी के परिणाम

6 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644 7 सांगयोंग (ऊपर)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. अपीलार्थी (डी. ए. एम. ई. पी. एल.) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सुव्यवस्थित सिद्धांतों से भटककर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द करने में त्रुटि की। सिविल संरचना में दोषों के अस्तित्व और उन दोषों को ठीक करने में डी. एम. आर. सी. की विफलता/दोषों को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाने के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं जिन्हें धारा 34 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियायत समझौते के प्रावधानों की व्याख्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और भले ही ऐसी व्याख्या नहीं है। न्यायालय की राय में सबसे सटीक व्याख्या, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक संभावित दृष्टिकोण लिया है तो पुरस्कार को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सी. एम. आर. एस. द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिस पर डी. एम. आर. सी. द्वारा भरोसा किया गया था, पर न्यायाधिकरण द्वारा सही निष्कर्ष निकालने के लिए विचार किया गया था कि ए. एम. ई. एल. को फिर से शुरू करने के लिए लगाई गई शर्तों से पता चलता है कि दोष ठीक नहीं हुए थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि रियायत समझौते के अनुसार, नोटिस की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर दोषों को सुधारने की मांग करते हुए 09.07.2012 पर इलाज का नोटिस जारी किया गया था। 90 दिनों की समाप्ति के बाद, 08.10.2012 दिनांकित समाप्ति सूचना जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपचार की सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर दोषों को ठीक किया जाना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाप्ति नोटिस की तारीख के बारे में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मन में भ्रम के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियां निराधार हैं। पुरस्कार के प्रासंगिक भागों को अदालत को यह तर्क देने के लिए दिखाया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने दिमाग में स्पष्ट था कि दोषों को इलाज की सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर ठीक किया जाना था। 90 दिनों की अवधि के भीतर दोषों को ठीक नहीं होने पर, समाप्ति की सूचना 08.10.2012 पर जारी की गई थी, जिसमें समाप्ति की प्रभावी तिथि 07.01.2013 थी। डी. ए. एम. ई. पी. एल. की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि ए. एम. ई. एल. का सफल संचालन

लगभग चार वर्षों तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों के बीच विवादों के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है। अंत में, श्री साल्वे के अनुसार, उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द करने में एक स्पष्ट त्रुटि की। 29. दूसरी ओर डी. एम. आर. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. नरसिम्हा और श्री पराग त्रिपाठी ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का समर्थन किया कि यह निर्णय सार्वजनिक नीति के विपरीत है। श्री नरसिम्हा ने दिल्ली मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. पर भरोसा किया।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

रियायत समझौता। दोषों को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए डी. एम. आर. सी. द्वारा रखी गई प्रचुर सामग्री पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था। आयुक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली मेट्रो अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी सुरक्षा पहलुओं पर विचार करने के बाद 18.01.2013 पर एएमईएल को खोलने की अनुमति दी गई और एएमईएल तब से बिना किसी प्रतिकूल घटना के परिचालन में है। एएमईएल का बाद में सुचारू रूप से काम करना एक प्रासंगिक विचार है जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा आयोजित कई बैठकों में डी. ए. एम. ई. पी. एल. की भागीदारी, जिसके कारण निरीक्षण हुए और दोषों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए, साथ ही डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा 22.01.2013 से 30.06.2013 तक चलाए जा रहे ए. एम. ई. एल. से पता चलता है कि डी. ए. एम. ई. पी. एल. को भी पता था कि दोषों को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे।

30. डी. एम. आर. सी. घटना के लिए डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा समाप्ति है

अनुच्छेद 29.5 में वर्णित है। 1 जो नीचे लिखा हैः -

" 29.5 डिफ़ॉल्ट डी. एम. आर. सी. घटना के लिए समाप्ति

29.5. 1 रियायत प्राप्तकर्ता डी. एम. आर. सी. को 90 (नब्बे) दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद निम्नलिखित में से किसी भी घटना की घटना और निरंतरता पर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। ( प्रत्येक "डिफ़ॉल्ट की डी. एम. आर. सी. घटना"), जब तक कि रियायतकर्ता के परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट की ऐसी कोई डी. एम. आर. सी. घटना न हुई हो।

पूर्वनिर्धारित घटना या बल आकस्मिक घटना के कारण।
( i) डी. एम. आर. सी. इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इस तरह के उल्लंघन का रियायत प्राप्तकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और डी. एम. आर. सी. इस तरह के उल्लंघन को ठीक करने या नोटिस प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इस तरह के उल्लंघन को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा है।

डी. एम. आर. सी. इस समझौते या अन्यथा साक्ष्य को अस्वीकार करता है।

( (ख)

इससे बंधे न रहने का अपरिवर्तनीय इरादा

समझौता;

( iii) लक्ष्य या जी. एन. सी. टी. डी. या किसी भी सरकारी एजेंसी ने आयोग या चूक के एक कार्य द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की हैं जिनका प्रदर्शन पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के बारे में और रियायत प्राप्तकर्ता से इस संबंध में डी. एम. आर. सी. द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसे ठीक करने में विफल रहे हैं;

( iv) डी. एम. आर. सी. ने इस समझौते के तहत देय किसी भी भुगतान में देरी की है यदि ऐसी देरी 90 (नब्बे) दिनों से अधिक है।

31. पुरस्कार के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि मन में भ्रम था

समाप्ति की वास्तविक तिथि से संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जिसका अनुच्छेद 29.5 की व्याख्या पर एक सामग्री असर होगा। 1 . उच्च न्यायालय द्वारा समाप्ति की तारीख के बारे में भ्रम को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लेख करके उजागर किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दोषों को उपचार सूचना की तारीख से 90-दिन की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया गया था। हालाँकि, पैराग्राफ 128,130 और 131 में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने जवाबी दावे पर विचार करते हुए, रियायत समझौते की समाप्ति की तारीख के रूप में 07.01.2013 का उल्लेख किया। पुरस्कार की सावधानीपूर्वक जाँच से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ

न्यायाधिकरण ने सटीक शब्दों में कहा था कि दोषों को उपचार सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने माना कि 08.10.2012 दिनांकित समाप्ति नोटिस जारी किया गया था क्योंकि दोषों को ठीक नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण ने अपना विचार व्यक्त किया कि परिणामस्वरूप, समाप्ति की प्रभावी तिथि 07.01.2013 थी, जो समाप्ति सूचना के 90 दिन बाद है। चूंकि दोषों को ठीक करने के लिए दिए गए समय और रियायत की समाप्ति की प्रभावी तिथि के बारे में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में कोई अस्पष्टता नहीं है सहमति, हम डिवीजन बेंच के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं कि समाप्ति की तारीख के संबंध में पुरस्कार में एक अस्पष्टता है, जिसका पुरस्कार के अंतिम परिणाम पर असर पड़ता है। सहायक मुद्दा जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अनुच्छेद 29.5 के तहत दोषों को ठीक करने की अवधि 180 दिन या 90 दिन है। 1 रियायत समझौते का। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि डी. एम. आर. सी. 90 दिनों की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. की समाप्ति से पहले दोषों को ठीक करने में विफल रहा।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

दोषों की गैर-विस्तृत सूची निर्धारित करने वाली प्रारंभिक सूचना से 09.07.2012 पर जारी किया गया। उक्त निष्कर्ष अनुच्छेद 29.5 की व्याख्या का परिणाम है। 1 न्यायाधिकरण द्वारा रियायत समझौते का। अ.

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था कि समाप्ति सूचना के रूप में

रियायत समझौता मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह विचार कि दोषों को इलाज के नोटिस की तारीख से 90 दिनों के भीतर ठीक किया जाना है, ऐसा न करने पर डी. ए. एम. ई. पी. एल. रियायत समझौते को समाप्त करने का हकदार है, संभव है। अनुच्छेद 29 की व्याख्या। 1 . हम इस बिंदु पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, यह मानते हुए भी कि उक्त अनुच्छेद को पढ़ने पर एक अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता है।

32. उच्च न्यायालय का विचार था कि न्यायाधिकरण ने सी. एम. आर. एस. प्रमाणपत्र की अनदेखी करने में एक गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने प्रमाण पत्र की बाध्यकारी प्रकृति की दृष्टि खो दी है। डिवीजन बेंच के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सीएमआरएस प्रमाणपत्र के मुद्दे को एक अलग मुद्दे के रूप में मानने में गलती की, जो रियायत समझौते की समाप्ति से संबंधित प्रश्नों से अलग है। दिल्ली मेट्रो अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महानगर और महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेलवे के संचालन, रखरखाव और विनियमन के लिए लागू किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत नियुक्त मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त का कर्तव्य है कि वह यह निर्धारित करने के लिए मेट्रो रेलवे का निरीक्षण करे कि क्या यह यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोला जाना उचित है या नहीं और इस पर केंद्र को रिपोर्ट करे। इसके तहत आवश्यकतानुसार सरकार। दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 14 के तहत मेट्रो रेलवे को खोलने की मंजूरी देने से पहले, मेट्रो रेलवे की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए आयुक्त से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी ताकि जनता के लिए कोई खतरा न हो। दिल्ली मेट्रो रेलवे को यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोलने के नियम, 2002 के नियम 11 में आयुक्त पर यह कर्तव्य लगाया गया है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी प्रासंगिक मामलों की जांच करे कि मेट्रो रेलवे को खोला जाना चाहिए। यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेलवे लाइन को खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा [2021] 5 एस. सी. आर. की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दी गई है।

डी. एम. आर. सी. की गलती और क्या डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा बताए गए दोषों को दिनांकित सूचना 09.07.2012 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ठीक किया गया था। ए. एम. ई. एल. की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा नहीं था जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया था, हालांकि डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने अपनी संरचनात्मक अखंडता में दोषों से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लाइन के संचालन को जारी नहीं रखने पर जोर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयुक्त सक्षम है। ए. एम. ई. एल. की सुरक्षा निर्धारित करने का अधिकार। यह भी संदेह से परे है कि आयुक्त ने एएमईएल को फिर से शुरू करने की अनुमति तब तक नहीं दी होगी जब तक कि यह राय न हो कि वाणिज्यिक संचालन को फिर से शुरू करने से जनता को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि, प्रमाण पत्र अपने आप में यह दिखाने के लिए डी. एम. आर. सी. के बचाव में नहीं आ सकता है कि दोष इंगित करते हैं।

डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा निकाले गए रोगों को 09.07.2012 से 90 दिनों की समाप्ति के भीतर ठीक कर दिया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि दोषों को ठीक नहीं किया गया था, एक ऐसा तथ्य है जिसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

34. सी. एम. आर. एस. प्रमाण पत्र दिनांकित 18.01.2013 पर निर्भर था

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष डी. एम. आर. सी. अपने मामले का समर्थन करने के लिए एक मजबूत सबूत के रूप में कि दोषों को ठीक कर दिया गया था। डी. एम. आर. सी. ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क नहीं दिया कि सी. एम. आर. एस. प्रमाण पत्र बाध्यकारी है और दोषों को ठीक करने के लिए उठाए जा रहे दोषों/प्रभावी कदमों के बारे में निर्णायक है। न्यायाधिकरण के अनुसार, गति प्रतिबंधों और लाइन की कड़ी निगरानी से संबंधित आयुक्त द्वारा लगाई गई शर्तें डी. ए. एम. ई. पी. एल. के इस तर्क का समर्थन करती हैं कि दोष पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या दिनांकित 09.07.2012 नोटिस के 90 दिनों के भीतर दोषों को ठीक कर दिया गया था और दिनांकित 18.01.2013 प्रमाण पत्र उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है। हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि सीएमआरएस प्रमाणपत्र के मुद्दे को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. से निपटाया जा रहा है।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

न्यायाधिकरण के निर्धारण पर अलग से असर पड़ता है

समाप्ति सूचना की वैधता। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य, पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया के अनुसार नामित, इंजीनियर हैं और उनके पुरस्कार की उसी तरीके से जांच नहीं की जानी चाहिए जिस तरह से कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों द्वारा तैयार किया जाता है। किसी भी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत है। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। उच्च न्यायालय की इस राय से सहमत हैं कि समाप्ति सूचना की वैधता पर न्यायाधिकरण का निर्णय विकृति के कारण दूषित है।

35. डिवीजन बेंच ने समाप्ति नोटिस के लिए विभिन्न कारकों का उल्लेख किया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यह निर्णय अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है। विवादित फैसले के पैराग्राफ 97 में चर्चा उन तथ्यों की सराहना या पुनर्मूल्यांकन के बराबर है जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अनुमत नहीं हैं। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि ए. एम. ई. एल. के बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के संचालित होने का तथ्य

सीएमआरएस प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से चार साल से अधिक की अवधि के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा घटना को उचित महत्व नहीं दिया गया था। चूंकि मध्यस्थ गुणवत्ता के साथ-साथ एकमात्र न्यायाधीश भी होता है।

साक्ष्य की मात्रा, न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश होने का कार्य धारा 34.8 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय पर नहीं पड़ता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों के आधार पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचार के लिए मुद्दे तैयार किए और उक्त मुद्दों का जवाब दिया। बाद की घटनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

36. उपरोक्त कारणों से, डिवीजन बेंच का निष्कर्ष है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है

और अदालत की अंतरात्मा को झटका देना गलत माना जाता है।

समायोजित इक्विटी

37. अनुच्छेद 29.5। 2 समाप्ति भुगतान से संबंधित रियायत समझौते का विवरण इस प्रकार है:

" 29.5. 2 डी. एम. आर. सी. के चूक की घटना के कारण रियायतकर्ता द्वारा समाप्त होने पर, डी. एम. आर. सी. को भुगतान करना होगा

रियायतकर्ता, समाप्ति भुगतान के माध्यम से, एक राशि

क) देय ऋण;

ख) समायोजित इक्विटी का 130%;

8 राजस्थान राज्य बनाम। पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (1994) 6 एस. सी. सी. 485 [2021] 5 एस. सी. आर.

ग) परियोजना की 10 वीं वर्षगांठ के बाद परियोजना पर अर्जित और स्थापित परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, यदि कोई हो।

सीओडी "। 38. 'समायोजित इक्विटी' की परिभाषाओं पर ध्यान देना प्रासंगिक है,

" समायोजित इक्विटी का अर्थ है भारतीय रुपये में वित्त पोषित और चालू महीने के पहले दिन समायोजित इक्विटी (" संदर्भ तिथि), नीचे दिए गए तरीके से, मूल्यह्रास के कारण इसके मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए और

डब्ल्यूपीआई में भिन्नताएँ, और किसी भी संदर्भ तिथि के लिए जो घटित होती हैः अ)

सी. ओ. डी. पर या उससे पहले, समायोजित इक्विटी एक राशि होगी भारतीय रुपये में वित्त पोषित इक्विटी के बराबर और

निर्धारित तिथि और संदर्भ के महीने के पहले दिन के बीच होने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता के आधे हिस्से की सीमा तक संशोधित परियोजना पर खर्च किया गया

तिथि;

बी) सी. ओ. डी. से और उसकी चौथी (चौथी) वर्षगांठ तक, सी. ओ. डी. पर समायोजित इक्विटी के बराबर राशि को आधार ("आधार समायोजित इक्विटी") माना जाएगा और इसके तहत समायोजित इक्विटी आधार समायोजित इक्विटी के बराबर राशि होगी, जिसे सी. ओ. डी. के बाद प्रत्येक महीने की शुरुआत में संशोधित किया जाएगा, सी. ओ. डी. और संदर्भ तिथि के बीच होने वाले डब्ल्यू. पी. आई. में भिन्नता की सीमा तक।

सीओडी की चौथी (चौथी) वर्षगांठ के बाद, समायोजित

: )

इसके तहत इक्विटी आधार समायोजित इक्विटी के बराबर राशि होगी, जिसे 0.42% (शून्य बिंदु चार दो प्रतिशत) से घटाया जाएगा (इस संख्या को प्रत्येक मामले में 100 के उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे रियायत अवधि वाले महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 20 साल की रियायत अवधि के लिए आंकड़ा 100/240 = 0.416 होगा जिसे परियोजना के पूरा होने की तारीख की चौथी (चौथी) वर्षगांठ के बाद प्रत्येक महीने की शुरुआत में दशमलव अंकों यानी 0.02) तक पूरा किया जाएगा और इस तरह प्राप्त राशि को COD RPORT METRO EXPRESS PVT के बीच होने वाले WPI में भिन्नता की सीमा तक संशोधित किया जाएगा।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो एल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

और संदर्भ तिथि; और उपरोक्त भारतीय रुपये में वित्त पोषित इक्विटी पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होगा। संदेह से बचने के लिए, समायोजित इक्विटी की गणना, समाप्ति की स्थिति में, समाप्ति तिथि से तुरंत पहले की संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी; बशर्ते कि आधार समायोजित इक्विटी में कोई कमी उस अवधि के बराबर अवधि के लिए नहीं की जाएगी, यदि कोई हो, जिसके लिए रियायत अवधि बढ़ाई गई है।

लेकिन डब्ल्यूपीआई के कारण संशोधन जारी रहेगा

बनाया गया "।

अधिभोगियों की पूंजी लागत का अर्थ निम्नलिखित हैः

सी. ओ. डी. से पहले, रियायत पाने वाले के कार्यों की लागत

वित्तपोषण दस्तावेजों में और आगे

वित्तीय दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के निर्देश के दायरे के किसी भी परिवर्तन के लिए आदर्श पूंजी लागत; औरसी. ओ. डी. के बाद, रियायत पाने वाले की वास्तविक पूंजी लागत परियोजना के पूरा होने पर वैधानिक द्वारा प्रमाणित होती है।

परीक्षकों। "

बी. टी. देय का अर्थ है अंतरण तिथि पर बकाया भारतीय रुपये में निहित निम्नलिखित राशियों का योगः

वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि

कुल परियोजना लागत ("मूलधन") लेकिन मूलधन के किसी भी हिस्से को छोड़कर जो देय था

समाप्ति तिथि से दो साल पहले पुनर्भुगतान;

ऊपर उपखंड (क) में निर्दिष्ट ऋण अंतरण तिथि तक लेकिन (i) किसी भी ब्याज, शुल्क या शुल्क को छोड़कर जो एक वर्ष पहले देय था। अंतरण तिथि, (ii) किसी वरिष्ठ ऋणदाता को वित्तपोषण समझौतों के तहत देय कोई दंडात्मक ब्याज या शुल्क, और (iii) इसके संबंध में कोई पूर्व-भुगतान राशि

ऋण का त्वरित पुनर्भुगतान, सिवाय इसके कि जहां ऐसा हो

प्राधिकरण चूक के कारण आरोप उत्पन्न हुए हैं; और

कोई अधीनस्थ ऋण जो इसमें शामिल है ऋणदाताओं द्वारा वित्तीय पैकेज और संवितरण

कुल परियोजना लागत का वित्तपोषण करना। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21 ] 5 एस सी आर।

" इक्विटी "का अर्थ है भारतीय रुपये में व्यक्त राशि।

रियायत पाने वाले की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करना और इसमें संघ के किसी भी सदस्य या उसके किसी भी शेयरधारक द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को दी गई धनराशि शामिल होगी।

रियायत पाने वाले के इक्विटी घटक को पूरा करने के लिए

पूँजीगत लागत।

" अधीनस्थ ऋण का अर्थ है निम्नलिखित का समुच्चय।

भारतीय रुपये में या ऋण की मुद्रा में व्यक्त की गई राशि, जैसा भी मामला हो, समाप्ति की तारीख को बकाया हैः

अ)

ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि या

रियायत पाने वाले की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए रियायत पाने वाला और वित्तीय सहायता के अधीन

वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किया गया; तथा

ख)

उपखंड में निर्दिष्ट ऋण पर सभी उपार्जित ब्याज

( क) ऊपर लेकिन वास्तविक ब्याज दर से कम और भारतीय रुपये में व्यक्त किए गए ऋणों के मामले में बैंक दर से 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) के बराबर और वास्तविक ब्याज दर से कम और विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए ऋणों के मामले में छह महीने की एल. आई. बी. ओ. आर. (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट) और 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) तक सीमित,

लेकिन इसमें कोई भी ब्याज शामिल नहीं है जो देय था

समाप्ति तिथि से एक वर्ष पहले;

बशर्ते कि यदि अधीनस्थ ऋण का सभी या कोई हिस्सा ऋणदाताओं और/या रियायत पाने वाले के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो यह ऋणदाताओं के लिए होगा।

इस समझौते के उद्देश्यों को माना जाएगा

इस तरह के रूपांतरण के बाद भी अधीनस्थ ऋण और

उसके मूल के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा जैसे कि

धर्मांतरण नहीं किया गया था।

39. न्यायाधिकरण ने समाप्ति के दो घटकों पर ध्यान केंद्रित किया

भुगतान, जो हैं (i) 'देय ऋण', और (ii) 'समायोजित इक्विटी' का 130%। अपीलार्थी के अनुसार, खंड पीठ ने एक वचन दिया

यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि कि रियायत समझौते में 'समायोजित इक्विटी' अभिव्यक्ति की गणना केवल डीएएमईपीएल की शेयर पूंजी को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया था कि 'समायोजित इक्विटी' अभिव्यक्ति में डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा लाया गया धन शामिल होना चाहिए और उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि रु. 611.95 करोड़ का उपयोग खर्च के रूप में किया गया था, जिससे रियायत दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस PVT के तहत 'रियायतकर्ता की पूंजी लागत' के रूप में अर्हता प्राप्त हुई।

लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [ एल. नागेश्वर राव, जे.]

समझौता। न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि रु. डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा दिए गए 611.95 करोड़ रुपये उक्त परिभाषा के एक सादे पाठ पर 'इक्विटी' की परिभाषा के तहत शामिल करने के लिए योग्य होंगे। अनुबंध का निर्माण न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, न्यायालय इस तरह के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

40. दूसरी ओर, डी. एम. आर. सी. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि रु. 611.95 करोड़ को 'शेयर आवेदन राशि' के रूप में दर्ज किया गया था

31.03.2010 पर डी. ए. एम. ई. पी. एल. की बैलेंस शीट। हालाँकि, उक्त राशि को बैलेंस शीट में 31.03.2011 के रूप में अधीनस्थ ऋण के रूप में दिखाया गया था। प्रत्यर्थी ने डी. ए. एम. ई. पी. एल. के निदेशक मंडल द्वारा 16.03.2011 पर पारित प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसमें शेयर आवेदन राशि को अधीनस्थ ऋण में बदलने का निर्णय लिया गया था। डी. एम. आर. सी. ने आग्रह किया कि शेयर आवेदन राशि को अधीनस्थ ऋण के रूप में परिवर्तित करना डी. ए. एम. ई. पी. एल. की ओर से एक सोची समझी चाल थी। यदि शेयर आवेदन

डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत किया गया कि रु. 611.95 करोड़ को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी के रूप में नहीं माना जा सकता है। डी. एम. आर. सी. ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 'समायोजित इक्विटी' की गणना के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उचित रूप से दरकिनार कर दिया। 41. हम यह तय करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री की फिर से जांच करने का इरादा नहीं रखते हैं कि क्या उच्च न्यायालय उलटने में सही था।

अनुच्छेद 29.5 के तहत राशि की गणना के संबंध में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष। 2 रियायत समझौते का। की राय

न्यायाधिकरण का कहना है कि रु. 611.95 करोड़ डी. ए. एम. ई. पी. एल. के प्रवर्तक द्वारा अग्रिम राशि थी जिसे डी. एम. आर. सी. द्वारा विवादित नहीं किया गया था। द. डी. एम. आर. सी. द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह केवल इक्विटी शेयर पूंजी थी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर समझा जाता है जो अनुच्छेद 29.5 के तहत डी. एम. आर. सी. द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 2 , [2021] 5 एस. सी. आर. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि संघ के किसी सदस्य या शेयरधारकों द्वारा योगदान की गई राशि को पूरा करने के लिए ' रियायतकर्ता की पूंजी लागत 'किसी भी रूप में, जिसमें ऐसी निधियों को अधीनस्थ ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को रियायत समझौते में इसकी परिभाषा के संदर्भ में' अधीनस्थ ऋण 'के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उचित और संभावित दृष्टिकोण। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 1 के बोर्ड के प्रस्ताव पर भरोसा किया और कहा कि न्यायाधिकरण को शेयर आवेदन के धन को अधीनस्थ ऋण में परिवर्तित करने के बाद उक्त राशि को 'इक्विटी' के रूप में नहीं मानना चाहिए था। रियायत समझौते के प्रासंगिक खंडों पर विस्तृत विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य की पूरी तरह से अनदेखी करके 'समायोजित समानता' के अपने सारणीकरण में एक गंभीर त्रुटि की है।

42. यह मानते हुए भी कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत नहीं है, हमें डर है कि रियायत समझौते की शर्तों के निर्माण पर न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किया गया एक संभावित दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित। यह दृष्टिकोण 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) की समझ के अनुरूप है, जो मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आधार के रूप में है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में आयोजित किया गया है और उसके बाद सांगयोंग (ऊपर) में बरकरार रखा गया है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 28 (3) के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। रियायत समझौते की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और

डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में, हम यह मानने की स्थिति में नहीं हैं कि रुपये को शामिल करने पर ट्रिब्यूनल की राय। 'इक्विटी' के तहत 611.95 करोड़ एक विकृत दृष्टिकोण है। यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने ऐसा नहीं किया

अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करें, विशेष रूप से डी. ए. एम. ई. पी. एल. के निदेशक मंडल द्वारा पारित 16.03.2011 के प्रस्ताव पर। हम न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में भी त्रुटि नहीं पाते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इक्विटी शब्द की समझ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है - रियायत समझौते में शब्द की स्पष्ट परिभाषा के आलोक में 'समायोजित इक्विटी' का निर्धारण करना। जैसा कि सांगयोंग (ऊपर) में माना गया है, एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में स्पष्ट किए गए मूल कानून का केवल उल्लंघन अब मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए उपलब्ध आधार नहीं है। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) की व्याख्या पर डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया समर्थन, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में अपनाया गया है, अब अच्छा कानून नहीं है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हैं और खंड 29.5 के तहत समाप्ति भुगतान की गणना के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखते हैं। 2 .

दिल्ली हवाई अड्डा मेट्रो एक्सप्रेस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

द्वारा दायर 2019 के एसएलपी (सी) संख्या 8311 में चुनौती के आधार

डीएमआरसी

43. न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए कानूनी मुद्दों में से एक यह है कि क्या डी. ए. एम. ई. पी. एल. ने इसमें भाग लेने के बाद समाप्त करने के अपने अधिकारों को माफ कर दिया है।

सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद रियायत समझौता इंगित दोषों को सुधारने की प्रक्रिया। की डिवीजन बेंच

उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को इस आधार पर मंजूरी दी कि न्यायाधिकरण के निर्णय को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालतों को दी गई सीमित जांच के भीतर त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा छूट पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से उचित रूप से परहेज किया।

44. विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डी. ए. एम. ई. पी. एल. को निर्देश देने की प्रार्थना

ए. एम. ई. एल. के संचालन के लिए रियायत समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उक्त निष्कर्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, इस न्यायालय के लिए रियायत समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के बिंदु पर निर्णय लेने का कोई कारण नहीं है। 45. न्यायाधिकरण ने समाप्ति भुगतान पर रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार ब्याज दिया। डीएमआरसी

उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि ब्याज के संबंध में पुरस्कार

इसे इस आधार पर अलग रखा जाना था कि इसके परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। संविधान के अनुच्छेद 29.8 और अनुच्छेद 36.2.1 पर गहन विचार के बाद रियायत समझौते में, उच्च न्यायालय ने ब्याज से संबंधित न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से ठीक ही इनकार कर दिया है और हम हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं देखते हैं।

46. उपरोक्त कारणों से, डी. ए. एम. ई. पी. एल. द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय है -

एक तरफ रख दें। डी. एम. आर. सी. द्वारा दायर 2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8311 से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन